क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
280, एन0एच0–19, रनियाँ, कानपुर देहात–209304

सन्दर्भ सं0– 1653/स्था0/R-161/22 दिनांक : 24/11/2022

To,

The Registrar
Hon'ble National Green Tribunal
Principal Bench
New Delhi.

Sub: Action taken report in compliance of the order passed by Hon'ble NGT dated 19.09.2022 in OA No. 596 of 2022 In the matter of "Deepa pal versus state of U.P.

Sir,

Please refer to the subject noted above. Consequent upon the refernced Order, the designated Committee constituted has made sincer efforts in addressing all the issues in compliance of the referenced Order. The Report with all supporting Annxeure is enclosed with request to kindly place before Hon'ble Tribunal. The above case has listed for further hearing in Hon'ble Court on dated 13.01.2023.

Encl. As Above (Total- 36 Pages)

Yours faithfully

(Ashutosh Pandey)
Regional officer (In.)

Copy to following for information & necessary action please.

1. Member Secreatory, U.P. Pollution Control Board, Lucknow.
2. Chief Environmental Officer (C-2), U.P. Pollution Control Board, Lucknow.
3. Chief Law Officer, U.P. Pollution Control Board, Lucknow.
4. Shri Pradeep Mishra (Advocate), Supreme Court, B-235, Sector-19, Noida-211301.

Regional officer (In.)

REPORT

PLACED BEFORE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL (NGT), NEW DELHI

O.A. No. 596 of 2022

In the matter of "Deepa pal versus state of U.P.

1.0 Background:

The Hon'ble National Green Tribunal Principal Bench vide its order dated 19.09.2022 a joint committee has been constituted of the members of UP Pollution Control Board & District Magistrate, Kanpur Dehat for site visit and verification of factual Status of brick Kiln M/S Shakti Brick Field, Village-Maukhas, Vikas Khand-Amraudha, Tehsil- Bhognipur, District- Kanpur Dehat (U.P.). The relevant excerpt of said order is as following :

"'......Accordingly, we constitute a joint committee comprising of state, PCB, District Magistrate, Kanpur Dehat and direct the same to meet within two weeks, undertake visit to the site, look the grievance of the applicant, associate the applicant and representative of the concerned project proponent, verify the factual position and submit its report within one month by email at judicial-ngt@gov.inPreferably in the form of searchable PDF/OCR supported PDF and not in the form of Image PDF.....".

2.0 Action Taken:

In compliance of the above Hon'ble NGT order, the committee of the members was constituted as following;

1. Shri Ajay Kumar Rai, SDM, Bhognipur, District- Kanpur Dehat (Representative of DM, Kanpur Dehat).
2. Ms. Neelima Yadav, SDM (Head Quarter).
3. Mr. Ashutosh Pandey, Regional Officer, UPPCB, Regional Office- Kanpur Dehat (Representative of UPPCB).

3.0 Site Inspection:

The committee has carried out the site inspection of M/S Shakti Brick Field, Village-Maukhas, Vikas Khand-Amraudha, Tehsil- Bhognipur, District- Kanpur Dehat (U.P.). on date 02.11.2022 after issuing the requisite Notice and also interacted with concerned stake holders. As the complainant was out of station so she was unable to meet the committee during the inspection and she has by Email assured to be fully satisfied with the inspection by the committee. Copy of Email send by complainant is attached herewith and marked as. **Annexure. No- 1.**

4.0 Salient Observations of Inspection:

a) M/S Shakti Brick Field, Village-Maukhas, Vikas Khand-Amraudha, Tehsil-Bhognipur, District- Kanpur Dehat (U.P.). was established in the Year 1991 and obtained first consent to operate vide UPPCB letter dated 06.02.2007. Copy of the CTO dated 06.02.2007 is attached herewith and marked as **Annexure. No- 2.**

....2

b) The Uttar Pradesh Brick Kiln (sitting criteria for establishment) Rules, 2012 was notified on date 27.06.2012 & Earlier Zila Parisad's Guideline was being followed for sitting of brick Kiln in state of UP.

c) During inspection, the brick Kiln was not in operation and representative of the brick kiln Shri Brahma Prakash Sachan present during inspection was informed that the Brick Kiln is not in operation since July 2022 due to off season.

d) The brick kiln have obtained Consent to Operate under the section 21 of Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 and under the section 25 of Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 which are valid upto 31.07.2025 Copies of the issued CTOs are being attached herewith marked as **Annexure. No- 3.**

e) The production capacity of brick Kiln is 25,000 bricks/day. The brick Kiln is based on natural draft based technology using coal (approx. 03 TPD) as a fuel.

f) It was found during inspection that stack of brick kiln was damaged due to fall of lightning and its maintenance work was going on speedy basis. It was directed by joint team to the representative of the brick kiln that monitoring arrangement of emission should be installed as per the CPCB Emission Regulation Guidelines.

g) The fresh water requirement is approximately 10 KLD which is made from ground water through bore well but no metering arrangement was provided to said bore well.

h) It was found during inspection that the brick Kiln has developed a little portion of green belt which is not adequate as per norms.

i) The District Agriculture Officer, Kanpur Dehat vide letter dated 05.11.2022 has informed that no damage of agriculture crops was found due to above brick Kiln operation. Copy of the letter dated 05.11.2022 is attached herewith, marked as **Annexure. No- 4.**

j) The Labour Enforcement Officer, Kanpur Dehat vide letter dated 04.11.2022 has informed that no child labour was found during his inspection of the brick kiln in question. Copy of the letter dated 04.11.2022 is attached herewith and marked as **Annexure. No- 5.**

k) The Mining Officer, Kanpur Dehat vide letter dated 04.11.2022 has informed that no illegal mining done by M/S Shakti Brick Field, Village-Maukhas, Vikas Khand-Amraudha, Tehsil- Bhognipur, District- Kanpur Dehat. Copy of the letter dated 04.11.2022 is attached herewith and marked as **Annexure. No- 6.**

l) SDM, Bhognipur, Kanpur Dehat vide letter dated 07.11.2022 has also informed that the brick kiln is established since 1991 and that time the habitation was at the distance of 218 Meter from brick kiln. Brick kiln neither occupied the part of chak road nor damaged the chak road, the copy of letter dated 07.11.2022 is attached herewith and marked as **Annexure. No- 7.**

....3

m) No domestic effluent treatment arrangement was found during the inspection of brick kiln.

n) The UPPCB vide letter dated 31.10.2022 & 14.11.2022 has issued notice under section 21 (4) Air (Prevention and control of Pollution) Act-1981 to concerned brick kiln for entire compliance of the conditions mentioned in the CTO Air and CTO Water dated 26.08.2020 shall be cancelled with out given the another opportunity. Copy of the Notice dated 31.10.2022 & 14.11.2022 are attached herewith and marked as **Annexure. No- 8.**

5.0 Recommendation:

Based on the observations stated above followings are the recommendations of the committee for the brick kiln:

i. The brick Kiln should complete the maintenance work of stack along with arrangement for monitoring of flue gas from the stack as per the CPCB Emission Regulation Guidelines prior to start of next season at least before one week.

ii. The brick Kiln should install water metering device at the bore-well and maintain log book of fresh water consumption with immediate effect.

iii. The brick kiln shall construct/install wind breaking wall of 03 meter height around the premises with out any delay.

iv. The brick Kiln should with out any delay develop an adequate green belt along the periphery of brick kiln for control of fugitive emission as well as dust control.

v. The brick Kiln should make arrangement for the treatment of domestic effluent and for this purpose prepare project report should be submitted within 15 days.

vi. The brick Kiln should submit time bound action plan within a month for compliance of MoEF& CC, Govt. of India notification G.S.R. 143 (E), dated 22.02.2022.

(Ashutosh Pandey)	(Neelima Yadav)	(Ajay Kumar Rai)
Regional Officer	SDM, (Head Quarter)	SDM, Bhognipur
Kanpur Dehat	Kanpur Dehat	Kanpur Dehat

 ANNEXURE-1

Gmail

RO Kapur Dehat <rokanpurdehat@uppcb.in>

Regarding information of Shakti Brick Field

Deepa Pal <deepa15679@gmail.com>
To: RO Kanpur Dehat <rokanpurdehat@uppcb.in>

Thu, Nov 3, 2022 at 11:47 AM

सेवा श्री मान

महोदय निवेदन है कि आप के कार्यालय द्वारा मुझे सुचित किया गया थे कि दिनाक २/११/२२ को ईट भट्टा शिकायत कि जांच की जाये गी जांच के दौरान मेरा उपस्थित होना अनिवार्य है किसी कारन से मै उपस्थित नही हो पायी इस लिये छमा करे तो महान क्रिपा होगी आप के द्वारा की गई जांच से संतुसट हु.

[Quoted text hidden]

Email 8/12/11/2022 M C 22 **Public Grievance**

36

Fwd: आबादी क्षेत्र में ईट भट्टा बंद करवाने /हटवाने हेतु आवेदन

From : Deputy Registrar <dr.ngt@nic.in> Mon, May 09, 2022 11:42 AM

Subject : Fwd: आबादी क्षेत्र में ईट भट्टा बंद करवाने /हटवाने हेतु आवेदन 3 attachments

To : Public Grievance <publicgrievance-ngt@gov.in>

From: deepa15679@gmail.com
To: chairman@uppcb.com, ceo5@uppcb.com, ms@uppcb.com, ceoadmin@uppcb.com, ceo2@uppcb.com, "Member Secretary CPCB" <mscb.cpcb@nic.in>, "Sudhakar CPCB" <asudhakar.cpcb@nic.in>, "Neha Jain, DM Kanpur D" <dmkan@nic.in>, "sdmkan bhognipur" <sdmkan-bhognipur@nic.in>
Cc: ceo4@uppcb.in, rgngt@nic.in, "Deputy Registrar" <dr.ngt@nic.in>, "drdapd-kan" <drdapd-kan@nic.in>, icdsup@gmail.com, labourps@gmail.com
Sent: Sunday, May 8, 2022 4:28:42 PM
Subject: आबादी क्षेत्र में ईट भट्टा बंद करवाने /हटवाने हेतु आवेदन

बिषय:- आबादी क्षेत्र में ईट भट्टा बंद करवाने /हटवाने हेतु आवेदन

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थनी दीपा पाल पत्नी किशन कुमार पाल ग्राम मऊ खास विकास खंड अमरौधा, तहसील भोगनीपुर जिला कानपुर देहात राज्य उत्तर प्रदेश का मूल निवासी है। प्रार्थनी के ग्राम मे शक्ति ब्रिक्क फील्ड के नाम से ईट भट्टा चल रहा है जिस कारण प्रार्थनी वा ग्राम के सभी लोगो को निम्न लिखित दिक्कत और परेशानियो का सामना करना पडता है.

(१)ईट भट्टा से आबादी की दूरी १०० मीटर से कम है.
(२)ईट भट्टा से प्राथमिक विद्द्यालय की दूरी १५ फीट है.
(३)ईट भट्टा के आस पास आज तक बाउड्री वाल नही है.
(४)ईट भट्टा के आस पास राबिश और राख से फसल बर्वाद होती है.
(५)ईट भट्टा मे ईट पकाने के लिये पशू चारे का प्रयोग किया जाता है.
(६)ईट भट्टा के प्रदुसण से फसल को नुक्सान होता है.
(७) ईट भट्टा मे काम करने वाले मज्दूरो के लिये शौचलय की सुविधा नही है मज्दूर फसल मे सौच के लिये जाते है जिस कारण से फसल बरवाद होती है.
(८)ईट भट्टा के कारण खेतो के पास के सभी चकरोड खराब हों गये है.
(९) ईट भट्टा द्वार क्रम वार खनन न कर के अवैध खनन किया जाता है.
(१०)ईट भट्टा के कारण कटहल व आम के पेडो मे फल नही आते है.
(११)ईट भट्टा के कारण आस पास के इलाके मे वातावरण गरम रहता है.
(१२) ईट भट्टा मे नाबिलिग व छोटे छोटे बच्चे भी काम करते है.

प्रार्थनी दीपा पाल पत्नी किशन कुमार पाल
ग्राम- मऊ खास,अमरौधा तहसील- भोगनीपुर जिला- कानपुर देहात
राज्य-उत्तर प्रदेश
मोबाइल नंबर-9555647970

Azadi Ka Amrit Mahotsav

(१३) ईट भट्टा के आस पास पेड पौधे नही लगे है.

अँतह आप से अनुरोध है ग्राम वासियो व ग्राम के किसानो कि उपरोक्त लिखित समासयाओ को ध्यान मे रख कर जांच का आदेश करे कि शिकायत सही है या गलत तथा अतिशीघ्र ईट भट्टा को बंद करवाया जाए या आबादी से दूर स्थापित करने का आदेश करे तथा उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेश के नियम के अनुसार ही ईट भट्टा को चलाने का आदेश करे तो महान दया होगी।

प्रार्थनी दीपा पाल पत्नी किशन कुमार पाल
ग्राम- मऊ खास,अमरौधा तहसील- भोगनीपुर जिला- कानपुर देहात
राज्य-उत्तर प्रदेश
मोबाइल नंबर-9555647970

child labour video.mp4
5 MB

video 1.mp4
3 MB

chara video.mp4
1 MB

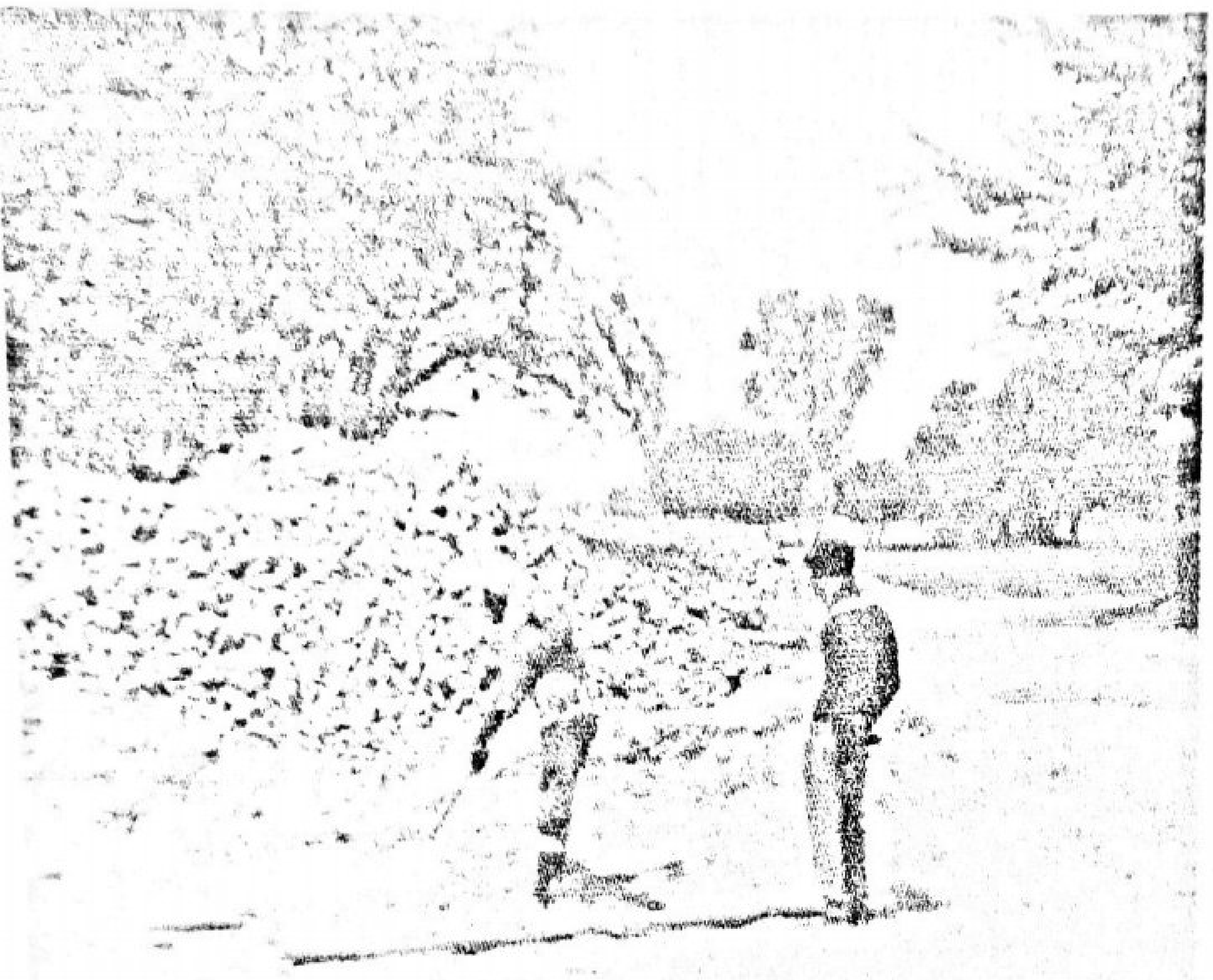

ANNEXURE-2

दूरभाष/फैक्स : 2510999

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

क्षेत्रीय कार्यालय :
5243 सद्भावना नगर, आवास विकास फेज-3 कल्यानपुर, कानपुर - 208 017

दिनांक 06/2/07

पत्रांक संख्या 1/087/ZB-350 /वायु प्रदूषण/07

सेवा में,

मे० मेसर्स शक्ती ब्रिक फील्ड
मउरवास,भोगनीपुर, कानपुर-देहात

विषय - वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम 1981 की धारा-21 के अन्तर्गत सहमति के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में कृपया आप अपने आवेदन पत्र दिनांक 02·02·07 का अवलोकन करें । आपके आवेदन पत्र का परीक्षण किया गया और आपको सशर्त सहमति आदेश संख्या 856/350 सहमति (वायु) आदेश/ 07/2 दिनांक 5/2/07 को संलग्न किया जा रहा है । आपका ध्यान क्रमांक संख्या 1, 3 से 9, 11 व 14 से 17 जो नीचे वर्णित है, आकर्षित किया जाता है ।

1. सहमति में दिये गए शर्तों एवं नीचे दिये गये विभिन्न बिन्दुओं का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करें एवं इस कार्यालय को अनुपालन आख्या एक माह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें ।

2. .... के० बी० ए० क्षमता के डी० जी० सेट से संलग्न चिमनी की ऊँचाई भूतल/भवन छत से .... मी० ऊँचा किया जाय ।

3. फ्लू गैस, प्रक्रिया उत्सर्जन तथ वायु गुणता की अनुश्रवण आख्या इस पत्र प्राप्ति के .... माह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें ।

4. वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु व्यवस्था जैस सेटलिंग चैम्बर का प्राविधान, संचालन एवं रख रखाव इस प्रकार किया जाय, जिससे प्रदूषणकारी अवयवों की मात्रा बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हो ।

5. इस पत्र प्राप्ति के एक माह के भीतर समस्त प्रदूषण नियन्त्रण व्यवस्थाओं की डिजाइन, कार्यक्षमता सम्बन्धी आख्या एवं अपने उद्योग का ले-आउट प्लान प्रेषित करना सुनिश्चित करें ।

6. आपके उद्योग का संचालन इस प्रकार से हो, जिससे वायु-मण्डल की गुणता मानकों के अनुरूप रहें ।

7. शासनादेशानुसार कार्यरत ईकाइयों में अधिक से अधिक क्षेत्रफल में वृक्षारोपण की बाध्यतानुसार वर्तमान में उपलब्ध खुले स्थान में कम से कम ३० प्रतिशत भाग में अनिवार्य रूप से वृक्षारोपण किया जायेगा जिससे कि वातावरण में सुधार हो तथा प्रगति आख्या हर तीसरे महीने भेजें ।

8. वह सहमति केवल वर्तमान उत्पादन क्षमता एवं वर्तमान उत्सर्जन की मात्रा के लिए ही मान्य है ।

9. आपके उद्योग को आडिट की हुई नवीनतम बैलेन्सशीट की प्रतिलिपि या चार्टर एकाउन्टेन्ट द्वारा पूर्ण विनियोजन (अचल सम्पत्ति + वर्तमान सम्पत्ति - वर्तमान देनदारियां) का सत्यापन प्रमाण पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिए जाते है जिससे आपके द्वारा देय सहमति शुल्क की जांच की जा सके ।

10. ईंधन का प्रयोग, उत्पादन प्रक्रिया अथवा अन्य प्रक्रिया हेतु नहीं किया जाएगा ।

11. यह सहमति आदेश आवेदन दिनांक ..09.02.07..... में अंकित उत्पादन .... व ईंधन की खपत के लिए ही वैध है । उत्पादन क्षमता अथवा ईंधन की खपत में यदि वृद्धि करनी हो तो बोर्ड से आवश्यक स्वीकृति प्राप्ति कर ही करें ।

12. अपने उद्योग परिसर में भूजल स्तर की मौनीटरिंग हेतु पीजोमीटर की स्थापना किया जायेगा ।

13. भूगर्भ जल स्तर को गिरने से बचाने के लिये भूगर्भ जल निदेशालय, उ०प्र० द्वारा जारी गाइड लाइन के अनुरूप रूफटाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की स्थापना की जाये ।

14. मॉनीटरिंग पोर्ट होल एवं प्लेटफार्म बोर्ड मानकों के अनुरूप स्थापित कर कार्यालय को सूचित किया जाये ।

15. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना दिनांक 02 अप्रैल, 98 यथा संशोधन में जारी निर्देशों का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा ।

16. ईंट भट्ठे द्वारा मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से याचिका संख्या ......55096/05......... में पारित आदेश दिनांक............................ द्वारा फ्लाई ऐश के प्रयोग की अनिवार्यता पर स्थगन आदेश प्राप्त किया गया है । तत्क्रम में सदस्य सचिव महोदय के पत्र संख्या एफ53154/सी-5/फ्लाई ऐश/91/05 दिनांक 06.12.05 द्वारा प्राप्त निर्देश कि जिन भठ्ठों द्वारा फ्लाई ऐश के प्रयोग के सम्बन्ध में स्थगन आदेश प्राप्त किये गये है, को नियमानुसार बोर्ड से सहमति वायु आदेश निर्गत किया जायेगा । तत्क्रम में यह सहमति जारी की जाती है जो अग्रेतर मा० न्यायालय के आदेशों के अनुसार प्रभावित हो सकती है ।

17. भठ्ठा परिसर के चारों ओर हरित पट्टिका का विकास किया जायेगा । धूल उडने की रोकथाम के प्रभावी उपाय अपनाए जाये ।

यह सहमति आदेश में अंकित किसी सूचना तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड कानपुर वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम 1981 तथा इसके संशोधित अधिनियम 1987 के अंतर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी / सभी शर्तों में पुनः विचार करने के लिए जो उचित हो, वह परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति बोर्ड के लिए आरक्षित है ।

संलग्नक : उपरोक्तनुसार

भवदीय
(कुलदीप मिश्रा)
क्षेत्रीय अधिकारी

संदर्भ संख्या .... / वायु प्रदूषण / तद् दिनांक ....

प्रतिलिपि (1) मुख्य पर्यावरण अभियन्ता (वृत ॥) को उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

क्षेत्रीय अधिकारी

दूरभाष/फैक्स : 2510999

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

5243 सद्भावना नगर आवास विकास फेज 3, कल्यानपुर, कानपुर

सहमति आदेश प्रपत्र

संख्या 856 / सहमति (वायु) आदेश / 9520/07/2 कानपुर, दिनांक 5/2/07

विषय सहमति में मेसर्स शक्ती ब्रिक फील्ड, मउरास, भोगनीपुर, कानपुर-देहात

वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम 1981 की धारा 21/22 के अन्तर्गत ।

संदर्भ आवेदन सख्या दिनाक 02.02.07

1. वायु (प्रदूषण नियन्त्रण एवं निवारण) अधिनियम 1981 के अन्तर्गत वायु प्रदूषणकारी अवयवों के उत्सर्जन हेतु उपरोक्त संदर्भित सहमति आवेदन पत्र मे० शक्ती ब्रिक फील्ड, भोगनीपुर, कानपुर-देहात को अपने संयंत्रों से संलग्नक में वर्णित शर्तो के अनुरूप वायुमंडल में उत्सर्जन हेतु बोर्ड द्वारा अधिकृत किया जाता है।

2. यह सहमति दिनाक 02.02.2007 से 31.12.2009 अवधि तक मान्य है ।

3. इस सहमति आदेश में अंकित किसी सूचना तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर, वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम 1981 धारा 21 (6) में तथा इसके संशोधित अधिनियम 1987 के अन्तर्गत उक्त वर्णित किसी भी / सभी शर्तों में पुनः विचार करने के लिए जो उचित हो परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति बोर्ड के लिए आरक्षित है।
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हेतु अथवा अधिकृत।

अनुलग्नक/संलग्नक
(सहमति शर्ते)

[signature]
क्षेत्रीय अधिकारी

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर

संचालक सहमति आदेश संख्या .... / सहमति (वायु) आदेश / ....

दिनांक ....

सहमति शर्तें

1. फ्लू गैस प्रतिघन्टा अधिकतम उत्सर्जत मात्रा नीचे दिये गये चिमनियों द्वारा उत्सर्जन मात्रा से अधिक नहीं होना चाहिए।

[i] सम्बद्ध चिमनी 30 M
[ii] -
[iii] -
[iv] -
[v] -

2. वायु मण्डल में विभिन्न चिमनियों द्वारा उत्सर्जित मात्रा निम्न मानकों के अनुरूप हों ।

मिलीग्राम प्रतिनार्मल क्यूबिक मीटर

[i] सस्पैन्डेड पार्टिकुलेट मैटर (एस. पी. एम.) 750
[ii] मेटल डस्ट (आयरन, जिंक, कॉपर आदि) -
[iii] हाइड्रोजन, सल्फर डाई आक्साइड, सल्फेट मिस्ट -
[iv] सल्फर डाई ऑक्साइड -
[v] कार्बन मोनो ऑक्साइड -
[vi] हाइड्रोकार्बन -
[vii] अमोनिया -
[viii] फ्लोरीन -
[ix] मर्केप्टेनस
[x]

3. समय - समय पर बोर्ड द्वारा निर्धारित अन्य परिचालकों की मात्रा भी मानकों के अनुरूप हों ।

4. बोर्ड द्वारा अनुमोदित वायु प्रदूषण नियन्त्रण एवं अनुश्रवण हेतु संयंत्री का अधिस्थापन उद्योग से प्रस्तावित अथवा कार्यरत परिसर में ही हों ।

बोर्ड के निर्देशों के अनुरूप ही उद्योग द्वारा कार्यरत प्रदूषण नियत्रण संयन्त्रों में संशोधन अथवा अधिस्थापन (यदि सक्षम एवं अनुरूप न पाये गये हों) किया जा सकता है।

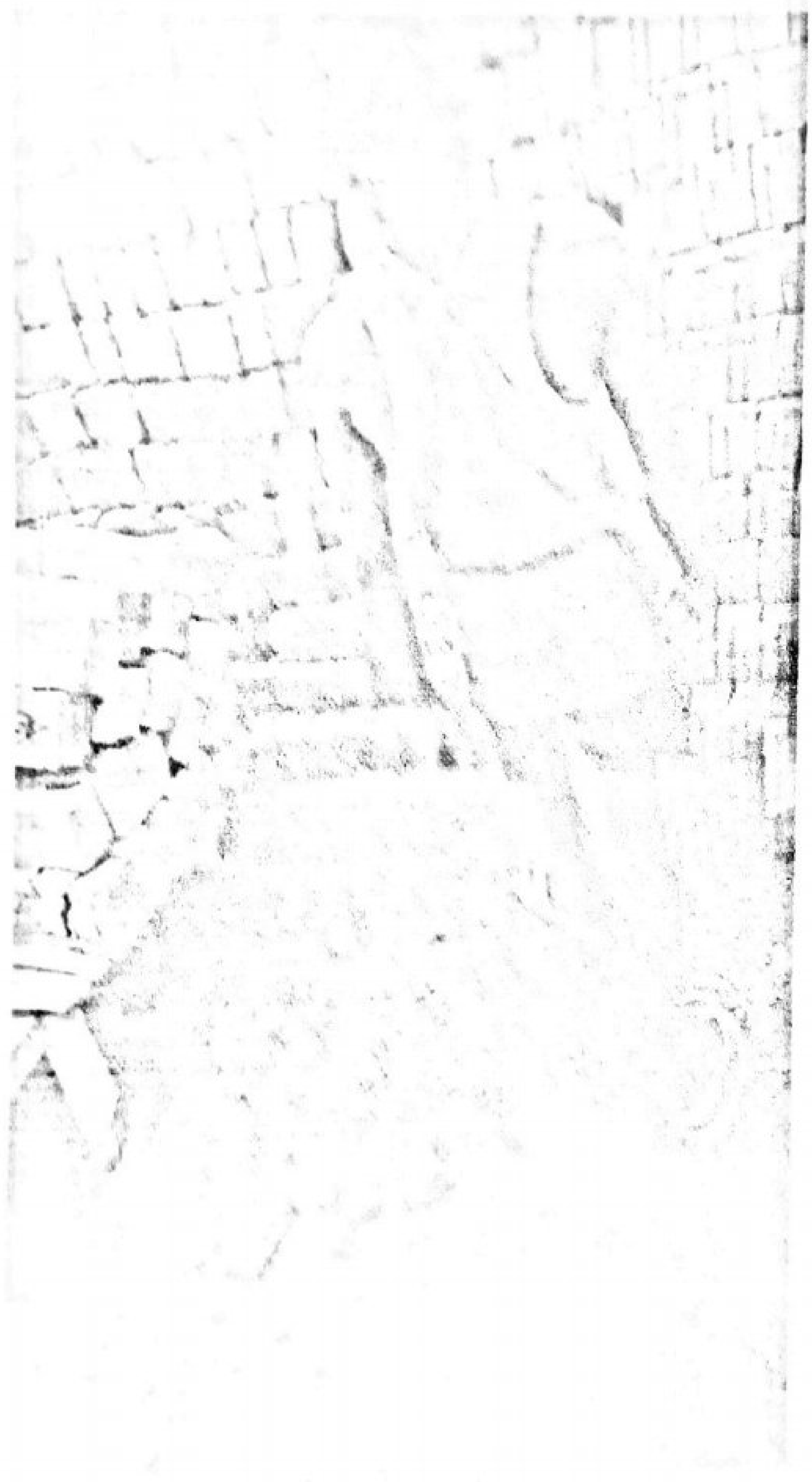

[illegible]. 5 एवं 7 में इंगित नियंत्रण तथा अनुश्रवण संयत्रों को कार्यरत स्थिति में इकाई में रखा जाए।

[illegible]. इकाई परिक्षेत्र में प्रत्येक आवश्यक स्थान पर चिमनी / स्टैक का प्राविधान [illegible] के अनुसार किया जाए।

8. सहमति आदेश निर्गत किये जाने की दिनांक के एक माह के भीतर इकाई के [illegible] उत्सर्जन के अनुश्रवण किये जाने की सम्पूर्ण व्यवस्था की जाय । उत्सर्जन का अनुश्रवण [illegible] किया जाए एवं इसकी मासिक आख्या बोर्ड में जमा की जाये ।

9. (अ) उपरोक्त संदर्भित सहमति शर्तों का सम्पूर्ण अनुपालन कार्यरत इकाई द्वारा [illegible] किया जाए एवं इस सम्बन्ध में आवश्यक अनुपालन आख्या सहमति आदेश प्राप्ति के [illegible] माह के भीतर प्रस्तुत किया जाय।

(ब) नवीन इकाई में उत्पादन तब तक न आरम्भ किया जाय जब तक सहमति आदेश [illegible] अनुपालन बोर्ड की संस्तुति के अनुसार न कर लिया जाय ।

10. किसी दुर्घटना या किसी अपरिहार्य कारणों से वायु प्रदूषण अवयवों का उत्सर्जन [illegible] मानकों संदर्भित धारा-29 से अधिक होता है या होने की सम्भावना हो तो बोर्ड और अन्य संस्थानों [illegible] उत्तर प्रदेश वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) धारा 1983 वर्णित है, को सूचित करना चाहिए ।

11. इकाई में कार्यरत किसी भी प्रदूषण नियंत्रण संयत्र अथवा स्टैक में किसी प्रकार का [illegible] बोर्ड की पूर्व अनुमति के न किया जाय ।

12. इकाई का रखरखाव इस प्रकार से सुनिश्चित किया जाए कि वायु प्रदूषणकारी तत्वों का उत्सर्जन स्टैक के अतिरिक्त अन्य किसी विन्दु से नहीं होना चाहिए ।

13. इकाई द्वारा बोर्ड कर्मचारियों अथवा बोर्ड से मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा, [illegible] अथवा किसी अन्य "आउट लेट" से वायु उत्सर्जन का नमूना एकत्रित किए जाने के सम्बन्ध में समस्त [illegible] का प्राविधान किया जाए ।

14. इकाई से आबादी, [illegible] इत्यादि [illegible] भी नुकसान [illegible] स्थिति में यह आवश्यक होगा कि इकाई में उत्पा[illegible] तुरन्त बन्द किया जाए तथा हटाने की सूचना तत्काल बोर्ड को दी जाए।

15. आवेदन कर्ता / इकाई द्वारा इस सहमति आदेश मे तथा [illegible] में दिए जाने वाले समस्त निर्देश/आदेशों का अनुपालन कड़ाई से किया जाए। किसी भी समय पर दिए गए आदेश, निर्देश अथवा सहमति आदेश की शर्तों का अनुपालन संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति मे आवेदनकर्ता / इकाई पर [illegible] प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

16. उपरोक्त इकाई [illegible] [illegible] निरस्त न किए जाने तक वैध रहेगी ।

17. आवेदनकर्ता द्वारा सहमति नवीनीकरण हेतु [illegible] आवेदन पत्र [illegible] प्रतियों में जमा किया जाए।
यह आवेदन पत्र पूर्व सहमति आदेश की वैधता समाप्त होने से 30 दिन अथवा नवीन या प्रतिस्थापित चिमनी की कार्यान्वयन तिथि हो एवं प्रस्तावित नवीन उत्सर्जन की तिथि से 30 दिन पूर्व (जो भी पहले हो) जमा किया जाए ।

18. बोर्ड के अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान [illegible] पुस्तिका उपलब्ध करा दी जायेगी।

19. आवेदक को निरीक्षणकर्ता / बोर्ड को अनुश्रवण एवं प्रदूषण सयन्त्रों के निर्माण अधिस्थापन अथवा संचालन तथा अन्य सभी सूचनायें जो वायु प्रदूषण नियंत्रण से सम्बन्धित हो, उपलब्ध करानी होगी।

20. इस सहमति आदेश की प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर अपने उद्योग के डायरेक्टर्स, पार्टनर्स, प्रोप्राइटर्स का पता दूरभाष संख्या की एक लिस्ट उपलब्ध करानी होगी ।

21. इस सहमति आदेश में अंकित किसी सूचना तथा सहमति शर्तों के [illegible] भी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कानपुर वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा [illegible] (3) मे तथा इसके संशोधित अधिनियम 1987 के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तों मे पुनः विचार करने के लिए, जो उचित हो, वह परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति बोर्ड के लिए आरक्षित है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हेतु अथवा अधिकृत।

क्षेत्रीय अधिकारी

स्थाई लेखा संख्या /PERMANENT ACCOUNT NUMBER

AAMFS4729C

नाम /NAME

SHAKTI BRICK FIELD

निगमन/बनने की तिथि /DATE OF INCORPORATION/FORMATION

12-11-1991

आयकर आयुक्त, कानपुर

DIRECTOR OF INCOME TAX (SYSTEMS)

इस कार्ड के खो / मिल जाने पर कृप्या जारी करने वाले प्राधिकारी को सूचित / वापस कर दें

आयकर आयुक्त,
आयकर भवन,
16/69 सिविल लाईन,
कानपुर - 208 001.

In case this card is lost/found,kindly inform/return to the issuing authority :

Director of Income Tax (Systems)
ARA Centre, Ground Floor
E-2, Jhandewalan Extn.
New Delhi - 110 055

Brahmdutt
ब्रह्मदत्त
8127990202
शक्ति ब्रिकफील्ड
गांव लालू
कानपुर देहात

ANNEXURE-3

U.P. Pollution Control Board

CONSENT ORDER

:ef No. -
01249/UPPCB/KanpurDehat(UPPCBRO)/CTQ/
vater/KANPUR DEHAT/2020

Dated : 26/08/2020

To ,

Shri BRAMHAPRAKASH SACHAN
M/s SHAKTI BRICK FIELD
Maukhash, Bhognipur,KANPUR DEHAT,209112
KANPUR DEHAT

Sub : **Consent under Section 25/26 of The Water (Prevention and control of Pollution) Act, 1974 (as amended) for discharge of effluent to M/s. SHAKTI BRICK FIELD**

Reference Application No :9279745 **Dated :26/08/2020**

1. For disposal of effluent into water body or drain or land under The Water (Prevention and control of Pollution) Act,1974 as amended (here in after referred as the act) M/s. SHAKTI BRICK FIELD is hereby authorized by the board for discharge of their industrial effluent generated through ETP for irrigation/river through drain and disposal of domestic effluent through septic tant/soak pit subject to general and special conditions mentioned in the annexure ,in refrence to their foresaid application .
2. This consent is valid for the period from 26/08/2020 to 31/07/2025 .
3. In spite of the conditions and provisions mentioned in this consent order UP Pollution Control Board reserves its right and powers to reconsider/amend any or all conditions under section 27(2) of the Water (Previntion and Controt of Pollution) Act, 1974 as amended .

This consent is being issued with the permission of competent authority .

For and on behalf of U.P. Pollution Control Board
Anand Kumar Anand
Regional officer

Enclosed : As above
(condition of consent):

Copy to: 1- ADM (F/R), Kanpur Dehat
2- Ceo-2
3- AMA, ZILA PANCHAYAT, Kanpur Dehat

Anand Kumar Anand
Regional officer

U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, LUCKNOW

nexure to Consent issued to M/s.SHAKTI BRICK FIELD vide

onsent Order No. 9279745/ Water . Dated : 26/08/2020

CONDITIONS OF CONSENT

This consent is valid only for the approved production capacity of Bricks - 25000 Nos/Day.

The quantity of maximum daily effluent discharge should not be more than the following :

Effluent Discharge Details			
S.No	Kind of Effulant	Maximum daily discharge,KL/day	Treatment facility and discharge point
1	Domestic	0.8 KLD	Septic Tank

3. Arrangement should be made for collection of water used in process and domestic effluent separately in closed water supply system. The treated domestic and industrial effluent if discharged outside the premises, if meets at the end of final discharge point, arrangement should be made for measurement of effluent and for collecting its sample. Except the effluent informed in the application for consent no other effluent should enter in the said arrangements for collection of effluent. It should also be ensured that domestic effluent should not be discharged in storm water drain .

4(a) The domestic effluent should be treated in treatment plant so that the should be in conformity with the following norms dated treated effluent .

Domestic Effulant		
S.No	Parameter	Standard
1	Total Suspended Solids	100 mg/l
2	BOD	30 mg/l
3	COD	250 mg/l
4	Quantity of Discharge	0.8 KLD

4(b). The industrial effluent should be treated in treatment plant so that the treated effluent should be in conformity with the following norms. .

Industrial Effulant		
S.No	Parameter	Standard

5. Effluent generated in all the processes, bleed water, cooling effluent and the effluent generated from washing of floor and equipments etc should be treated before its disposal with treated industrial effluent so that it should be according to the norms prescribed under The Environment (Protection) Act,1986 or otherwise mandatory .

6. The other pollutant for which norms have not been prescribed, the same should not be more than the norms prescribed for the water used in manufacturing process of the industry .

7. The method for collecting industrial and domestic effluent and its analysis should be as per legal Indian standards and its subsequent amendments/standards prescribed under The Environment (Protection) Act, 1986.

8. The treated domestic and industrial effluent be mixed (as per the provisions of Condition No. 2) and disposed of on one disposal point. This common effluent disposal point should have arrangement for flow meter/V Notch for measuring effluent and its log book be maintained .

Specific Conditions:

1-This consent to operate is issued M/S SHAKTI BRICK FIELD. Maukhash, Bhognipur, Distt-Kanpur Dehat.

2-Brick Kiln Shall ensure to comply with provisions of Environmental (Protection) Act 1986.

3-Brick Kiln Shall ensure to submit NOC certificate from CGWA within three month.

4-Brick Kiln Shall ensure to conserve rain water by adopting Roof Top rain water harvesting and ground water recharging system.

5-Industry shall ensure to develop green belt as per Head office order no.H16405/220/2018 02 Dated 16-02-2018.

6-Brick Kilns is directed to comply with the conditions mentioned in environmental clearance issued by District Level Environment impact Assessment Authority (DEIAA).

7-Brick Kiln shall provide permission to this office issued by Zila panchayat and Mining within three month date of issue of this consent to operate.

8-Brick Kiln Shall ensure to comply MSW (Management and Handling) Rule 2000 as amended.

9-Brick Kiln Shall ensure to submit compliance report of previous consent order.

10-This consent is valid for discharge of Domestic effluent 0.8 KLD into septic tank /soak pit only.

11-Industry shall ensure to comply the Hazardous and other Wastes (Management, Handling and Transboundary Movement) Rules, 2016.

12-Brick Kiln shall abide by directions given by Hon'ble Supreme Court, Hon'ble High Court,Hon'ble National Green Tribunal, Central Pollution Control Board and Uttar Pradesh Pollution Control Board for protection and safeguard of environment from time to time.

13.Brick kiln owner shall ensure to All the moving area around the main Brick Kiln should be paved with the brick to minimize the fugitive dust emission from the Brick Kiln operations.

14.Brick kiln owner shall ensure to that the dust not to accumulate all around the Brick Kiln.

Issued with the permission of competent authority.

For and on behalf of U.P. Pollution Control Board.

Anand Kumar Anand
Digitally signed by Anand Kumar Anand
Date: 2020.03.26

Regional officer

U.P. Pollution Control Board

CONSENT ORDER

Dated : 26/08/2020

Ref No. - 101247/UPPCB/KanpurDehat(UPPCBRO)/CTO/air/KANPUR DEHAT/2020

To ,

Shri BRAMHAPRAKASH SACHAN
M/s SHAKTI BRICK FIELD
Maukhash, Bhognipur,KANPUR DEHAT,209112
KANPUR DEHAT

Sub : Consent under section 21/22 of the Air (Prevention and control of Pollution) Act, 1981 (as amended) to M/s. SHAKTI BRICK FIELD

Dated : 26/08/2020

Reference Application No. 9279670

1. With reference to the application for consent for emission of air pollutants from the plant of M/s SHAKTI BRICK FIELD. under Air Act 1981. It is being authorised for said emissions, as per the standards, in environment, by the Board as per enclosed conditions .
2. This consent is valid for the period from 26/08/2020 to 31/07/2025 .
3. Inspite of the conditions and provisions mentioned in this consent order UP Pollution Control Board reserves its right and powers to reconsider/amend any or all conditions under section 21 (6) of the Air (Previntion and Controt of Pollution) Act, 1981 as amended.

This consent is being issued with the permission of competent authority .

For and on behalf of U.P. Pollution Control Boar

Anand Kumar
Anand

Regional office

Enclosed : As above
(condition of consent):

Copy to: 1- ADM (F/R). Kanpur Dehat
2- Ceo-2
3- AMA. ZILA PANCHAYAT, Kanpur Dehat

Anand Kumar
Anand

Regional of

U.P. Pollution Control Board

Dated : 26 08 2020

CONDITIONS OF CONSENT

1. This consent is valid only for the approved production capacity of **Bricks - 25000 Nos/Day.**
2. This consent is valid only for products and quantity mentioned above. **Industry shall obtain prior approval before making any modification in product/ process /fuel/ plant machinery failing which consent would be deemed void.**

3(a) The maximum rate of emission of flue gas should not be more than the emission norms for the stacks.

3(b) Air Pollution Source Details.

Air Pollution Source Details					
S.No	**Air Polution Source**	**Type of Fuel**	**Stack No.**	**Parameters**	**Height**
1	Brick Kiln Stack	Coal & Wood	1	Particulate Matter	30.0 Meter from Ground Level

3(c) The emissions by various stacks into the environment should be as per the norms of the Board .

Emission Quality Details Detail			
S.No	**Stack No**	**Parameter**	**Standard**

4. Quantity of other pollutants should also be as per the norms prescribed by the Board MOEF & CC or otherwise mandatory .
5. The equipment for air pollution control system and monitoring ,as proposed by the industry and approved by the Board should be installed in their premises itself .
6. The modification or installation in the existing pollution control equipments should be done only by prior approval of Board .
7. The operation of air pollution control system and maintenance be done in such a way that the quantity of pollutants should be in accordance with the standards prescribed by the Board MoEF & CC/or otherwise mandatory .
8. Unit should do provisions for fugitive emissions chimney/stack as per the norms of the Board MOEF & CC/or otherwise mandatory .
9. The unit should submit the stack emissions monitoring report within one month from issuance of consent order along with the point wise compliance report of the consent order . Further quarterly monitering report should be submitted .

Specific Conditions:

1.This consent to operate is issued to M/S SHAKTI BRICK FIELD, Maukhash, Bhognipur, Macha. Distt-Kanpur Dehat.
2.Industry shall ensure to develop green belt as per Head office order no.H16405/220/2018/02 Dated 16-02-2018.
3.Brick Kiln shall ensure to obtain prior approval before making any modification in Product Process fuel plant machinery.
4.Brick Kiln shall abide by directions given by Hon'ble Supreme Court, Hon'ble High Court, Hon'ble NGT, Central Pollution Control Board and Uttar Pradesh Pollution Control Board for protection and safeguard of environment from time to time.
5.Brick Kiln is directed to comply with the conditions mentioned in environmental clearance issued by competent authority.
6.Brick Kilns shall not use hazardous wastes like spent organic solvent, oily residue, pet coke, filter press cake, and other wastes like plastic, rubber, leather cutting etc. as fuel.
7.Brick Kiln shall provide permission to this office issued by Zila panchayat and Mining within three month from the date of issue of this consent to operate.
8.Industry shall ensure to comply the Hazardous and other Wastes (Management, Handling and Transboundary Movement) Rules, 2016.
9.Brick Kiln shall be operated in such a manner that ambient air quality should not be adversely affected, and no complaints should be raised by the public..
10.The Brick Kiln must ensure to comply of prescribed emission standards as notified by ministry of Environment and forest, Government of India via Serial no. 74 of Schedule-I in notification no. GSR 543(E) dated 22.07.2009 issued under Environment (Protection) Act., 1986.
11.The Brick Kiln shall ensure to comply the notification issued under the Environment (Protection) Act., 1986.
12.The Brick Kiln shall ensure to install lighting arrestor as per the PWD norms or any other standard design for Brick kiln to avoid the damage to stack due to lighting attack.
13.Compliance report to this consent order must be sent to this office within two month.
14.The Brick Kiln should regularly operate and maintain Air Pollution Control system (APCS) so that it meet stipulated standards.
15.Brick Kiln Shall ensure to comply the Notification issued from time to time regarding utilization of fly ash.
16.Brick Kiln shall ensure use at least 20 present Bio-Briquettes as a fuel in compliance of direction issued by member Secretary UPPCB vide letter no. H14586/C-6/NGT/Sa-208/18 dated 05.01.18.
17.Brick Kiln shall submit the site verification report from the revenue department within one month failing which this CTO may be revoked.
18.Brick kiln owner shall ensure to All the moving area around the main Brick Kiln should be paved with the brick to minimize the fugitive dust emission from the Brick Kiln operations.
19. Brick kiln owner shall ensure to that the dust not to accumulate all around the Brick Kiln.

Issued with the permission of competent authority.

For and on behalf of U.P. Pollution Control Board.

Anand Kumar Anand

Regional officer

ANNEXURE-4

प्रेषक,

जिला कृषि अधिकारी
कानपुर देहात।

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
रनियां कानपुर देहात।

पत्रांक– 656 / कृषि / शि0लि0 / 2022–23 / दिनांक– 05.11.2022

विषयः–समन्वित शिकयत निवारण प्रणाली के माध्यम से प्राप्त शिकायत सं0 40016322012736 के सम्बन्ध में।

कृपया आप अपनें कार्यालय पत्र सं0 1575 दिनांक 29.10.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करनें का कष्ट करें, जिसमें श्रीमती दीपा पाल पत्नी किशन कुमार पाल ग्राम मऊखास वि0ख0 अमरौधा तहसील भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात द्वारा मै0 शक्ति ब्रिक फील्ड के प्रदूषण से फसलो को नुकसान होता है।

उक्त के कम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा सहायक विकास अधिकारी (कृषि) अमरौधा से उपरोक्त शिकायत की जांच करायी है, जांच आख्या इस पत्र के संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतू सादर प्रेषित है।

संलग्नक– जांच आख्या

जिला कृषि अधिकारी
कानपुर देहात।

पृठांकन / /दिनांक

प्रतिलिपि– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. उप कृषि निदेशक कानपुर देहात।
2. मुख्य विकास अधिकारी महोदया कानपुर देहात।
3. जिलाधिकारी महोदया कानपुर देहात।

जिला कृषि अधिकारी
कानपुर देहात।

सेवा में
जिला कृषि अधिकारी
कानपुर देहात

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि शिकायतकर्ता श्रीमती दीपा पाल पत्नी श्री किशन कुमार पाल निवासी ग्राम- मकरखास विकास खण्ड- अमरौधा द्वारा IGRS शिकायत संख्या -40016322012736 मै० शक्ति ब्रिक फील्ड ग्राम- मकरखास विकास खण्ड- अमरौधा के प्रदूषण से फसलों को नुकसान होने की शिकायत की गयी है जिसके सम्बन्ध मे मेरे द्वारा भट्ठे पर जाकर स्थलीय सत्यापन किया गया जिसमे कृषकों की फसल को कोई नुकसान होना नही पाया गया है भट्ठे की चिमनी की ऊंचाई 135 फीट है तथा भट्ठा वर्तमान समय मे बन्द है। अतः शिकायतकर्ता द्वारा की गई फसलो के नुकसान की शिकायत निराधार है

आख्या आपकी सेवा मे सादर प्रेषित है

संलग्नक
(1) कृषकों द्वारा हस्ताक्षरित प्रार्थना पत्र

भवदीय
(हस्ताक्षर)
बलवीर प्रजापति
सहा० वि० अधि० कृषि
वि० खण्ड- अमरौधा

सेवा में –

सहायक विकास खण्ड अधिकारी – (कृषि)

विकास खण्ड अमरौधा

महोदय –

सादर अवगत कराना है कि हमारे खेतों के पास स्थित मै० शक्ति ब्रिक फील्ड ग्राम मंगुरहा विकास खण्ड अमरौधा के प्रदूषण से फसलों को नुकसान होने की शिकायत श्रीमती दीपा पाल प० कृष्ण कुमार पाल के द्वारा की गयी है। उक्त सम्बन्ध में हम निम्नलिखित कृषक इस बात की पुष्टि करते हैं कि श्री शक्ति ब्रिक फील्ड ईंट भट्ठा के प्रदूषण से हमारी फसलों को कोई नुकसान नहीं हो रहा है।

1- अलीम खां पु० अमीर खां — अ०नि० अलीम खां
2- रितेश कुमार पु० बृजलाल — रितेश कुमार
3- अशोक कुमार पु० प्रसीट — अशोक कुमार
4 सलीम खां पु० अमीर खां — अ०नि० सलीम खां
5 हनीफ खां पु० अमीर खां
6 शरद पु० कन्हई — अ०नि० हनीफ खां
7 रामलाल पु० मूलचन्द
8 मूलचन्द पु० हरदेव — अ०नि० शरद
9 लक्ष्मीकान्त पु० देवीदीन

सचिव
ग्राम पंचायत मंगुरहा
प्रभार-विनीता देवी
अमरौधा, कानपुर देहात

रामलाल — अ०नि० मूलचन्द

10 लक्ष्मी देवी प० स्व० वीरेन्द्र — लक्ष्मीकान्त — अ०नि० लक्ष्मी

ANNEXURE-5

प्रेषक,

सहायक श्रमायुक्त
कानपुर देहात।

सेवा मे,

क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0)
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रनियां कानपुर देहात।

पत्र संख्या– 1232 /श्र0प्र0अधि0 कानपुर दे0 दिनांक – 09-11-2022

विषय – समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली के माध्यम से प्राप्त शिकायत संख्या 40016322012736 के सम्बन्ध।

महोदय,

कृपया क्षेत्रीय कार्यालय उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 280,एन0एच0–19 रनियां कानपुर देहात के पत्र संख्या 1576/आई – 4/2022 दिनांक 29.10.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा श्रीमती दीपा पाल पत्नी श्री किशन कुमार पाल ग्राम मऊखास ब्लाक अमरौधा तहसील भोगनीपुर कानपुर देहात ने मे0 शक्ति ब्रिक फील्ड ग्राम मऊखास मे नाबालिक व छोटे छोटे बच्चों से कार्य कराये जाने की शिकायत के सम्बन्ध मे है।

उक्त के सम्बन्ध मे अवगत कराना है कि उक्त शिकायत की जांच श्रम प्रवर्तन अधिकारी श्री अरविन्द कुमार सोनकर द्वारा दिनांक 04.11.2022 को मे0 शक्ति ब्रिक फील्ड मऊखास का निरीक्षण किया गया। श्री सोनकर द्वारा अपनी आख्या मे अवगत कराया गया कि जांच के समय कोई भी नाबालिक बच्चे कार्य करते हुए नही मिले। श्री सोनकर की जांच आख्या इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक – श्रम प्रवर्तन अधिकारी की जांच आख्या एव मुनिम का मूल पत्र एवं मूल शिकायती पत्र की छायाप्रति।

09/11/2022
कृते सहायक श्रमायुक्त,
कानपुर देहात।

J-E/JA
A-I-O
9/11/22

CamScanner

प्रेषक,

श्रम प्रवर्तन अधिकारी
पुखराया कानपुर देहात।

सेवा मे,

सहायक श्रमायुक्त
कानपुर कानपुर देहात

पत्र संख्या– ११५ /श्र0प्र0अधि0 कानपुर दे0 दिनांक – 04.11.2022

विषय – समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली के माध्यम से प्राप्त शिकायत संख्या 40016322012736 के सम्बन्ध।

महोदय,

कृपया क्षेत्रीय कार्यालय उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 280,एन0एच0–19 रनियां कानपुर देहात के पत्र संख्या 1576/आई – 4/2022 दिनांक 29.10.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा श्रीमती दीपा पाल पत्नी श्री किशन कुमार पाल ग्राम मऊखास ब्लाक अमरौधा तहसील भोगनीपुर कानपुर देहात ने मे0 शक्ति ब्रिक फील्ड ग्राम मऊखास मे नाबालिक व छोटे छोटे बच्चों से कार्य कराये जाने की शिकायत के सम्बन्ध मे है।

उक्त के सम्बन्ध मे अवगत कराना है कि मेरे द्वारा दिनांक 04.11.2022 को मे0 शक्ति ब्रिक फील्ड मऊखास का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय कोई भी नाबालिक बच्चे कार्य करते हुए नही मिले। श्री श्रीराम यादव मुनिम मे0 शक्ति ब्रिक फील्ड से वार्ता की तो उन्होने यह बताया कि वर्तमान मे मेरा भटटा बन्द है। और यह आरोप जो मेरे उपर लगाये गये हैं वह निराधार व असत्य है।

संलग्नक – मुनिम का मूल पत्र।

(अरविन्द कुमार सोनकर)
श्रम प्रवर्तन अधिकारी
पुखराया कानपुर देहात।

सेवा में -

सहायक श्रम आयुक्त कानपुर (देहात)

महोदय - निवेदन करना है कि पं० अमित विश्वकर्मा ग्राम मदनपुर ब्लाक अमरौधा तहसील भोगनीपुर जिला कानपुर (देहात)

श्रीमती दीपा पाल पत्नी श्री किशन कुमार पाल ग्राम मदनपुर भट्टे से नाबालिग व छोटे छोटे बच्चों से काम कराने शिकायत की है। वर्तमान मे मेरा भट्टा बन्द है। और कोई भी नाबालिग बच्चा कार्य पर नहीं है। मेरे ऊपर द्वेष भावना से आरोप लगाया है। जो निराधार व असत्य है।

प्रार्थी
श्री राम यादव
मुनीम मदनपुर

1. सुनील कुमार
2. [illegible] कुमार
3. अनीश राठौर
4. सिपाही लाल

ANNEXURE-6

कार्यालय जिलाधिकारी, जनपद कानपुर देहात।

(खनन अनुभाग)

पत्रांक: 460 /खनिज अनु0–का0दे0 / 2022–23 दिनांक05 नवम्बर,2022

क्षेत्रीय अधिकारी,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
280, एन0एच–19–रनियां कानपुर देहात–209304

महोदय,

कृपया अपने कार्यालय पत्र सं0 1574/आई–4/22 दिनांक 29.10.2022 का सन्दर्भ गहण करें, जिसमें अवगत कराया गया है कि "शिकायतकर्ता दीपा पाल पत्नी किशन कुमार पाल ग्राम मऊखास, ब्लाक अमरौधा, तहसील भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात द्वारा मै0 शक्ति ब्रिक फील्ड, मऊखास ब्लाक अमरौधा तहसील भोगनीपुर में संचालित है तथा आबादी के निकट है। ईट भट्ठा द्वारा कमवार खनन न करके अवैध खनन किया जाता है।" उक्त के सम्बन्ध में जांचकर आख्या उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि, अद्योहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 04.11.2022 को प्रश्नगत ईट भट्ठा का स्थलीय निरीक्षण किया गया। ग्राम मऊखास तहसील भोगनीपुर में स्थित मे0 शक्ति ब्रिक फील्ड, प्रो0 श्री ब्रम्हप्रकाश सचान पुत्र स्व0 महेश नारायन निवासी ग्राम व पोस्ट मांचा भोगनीपुर द्वारा संचालित किया जाता है। जांच के दौरान ईट भट्टा स्वामी मौके पर उपस्थित थे। शिकायतकर्ता से दूरभाष पर वार्ता किया गया उनके द्वारा मौके पर आने मे असमर्थता व्यक्त किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा अवगत कराया गया कि "अवैध खनन के सम्बन्ध में कोई शिकायत नही है।" ईट भट्ठा स्वामी द्वारा अवगत कराया गया कि "मिट्टी खनन हेतु ग्राम मऊखास की गाटा सं0 61अ रकबा 0.9340हे0 एवं गाटा सं0 61ब रकबा 0.2820हे0 के भूस्वामी महाबीर पुत्र राजराम निवासी मऊखास तहसील भोगनीपुर एवं लंगडेपुर्वा की गाटा सं0 59अ रकबा 0.4980हे0, गाटा सं0 59ब रकबा 0.4300हे0 के भूस्वामी राकेश कुमार पुत्र स्व0 चुन्नीलाल व सहोदरा पत्नी चुन्नीलाल से ईट मिट्टी खनन कर, ईट निर्माण हेतु इकरारनामा शपथ–पत्र (छायाप्रति संलग्न) प्राप्त कर मिट्टी का खनन किया गया है।" ईट भट्ठा स्वामी द्वारा ईट भट्ठा संचालन हेतु आवेदन पत्र में उपरोक्त शपथ–पत्र संलग्न कर इस कार्यालय को उपलग्ध कराया गया है। ईट भट्ठा स्वामी द्वारा ईट भट्ठ सत्र 2021–22 का देय विनियमन शुल्क रू–1,83,170.00 (ट्रेजरी चालान की छायाप्रति संलग्न) खनिज अनुभाग के लेखाशीर्षक "0853" में जमा किया गया है।

आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक:–उपरोक्तानुसार।

05/11/22

(विकास सिंह परमार)
खान अधिकारी,
कानपुर देहात।

ANNEXURE-7

कार्यालय उप जिलाधिकारी भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात।

दिनांक 7-11-2022

संख्या 363/एस0डी0-मऊखास-ईंट भट्ठा-जाँच आख्या/2022

विषयः- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 596/2022 दीपा पाल एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 19.09.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0),
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड,
रनियाँ, कानपुर देहात।

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र संख्या 1580/रा0/R–161/22 दिनांक 31.10.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा उद्योग मै0 शक्ति ब्रिक फील्ड, ग्राम मऊखास विकास खण्ड अमरौधा तहसील भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात का संयुक्त निरीक्षण कर आख्या मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली को प्रेषित की जानी है,' के सम्वन्ध मे पत्र प्रेषित किया गया है।

उक्त प्रकरण की जाँच क्षेत्रीय लेखपाल से करायी गयी है। क्षेत्रीय लेखपाल की आख्यानुसार ग्राम मऊखास परगना व तहसील भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात की गाटा संख्या 109 रकबा 1.896हे0 राजस्व अभिलेखों मे जसवन्त नरायन, राम सेवक, सिपाही लाल, शिव प्रसाद, छोटेलाल, प्रेमचन्द्र व बृम्हप्रकाश के नाम सहखातेदार के रूप मे संक्रमणीय भूमिधर दर्ज कागजात है। जिसमे भट्ठा स्वामी का 1/2 हिस्सा है। हिस्से के मुताविक रकवा 0.9480हे0 है। उक्त रकबे पर वर्तमान समय मे ईट भट्ठा संचालित है। उक्त शक्ति ब्रिक फील्ड 1991 से उक्त रकबे पर संचालित है। जिसका नजरी नक्शा साथ मे संलग्न है। भट्ठे की चिमनी से उत्तर दिशा मे पुरानी आबादी 218मी0 दूरी पर है तथा नयी आबादी भट्ठा स्थापित होने के बाद बनी है तथा ग्राम मऊखास का प्राथमिक विद्यालय भट्ठा स्थापित होने के समय नही बना था। ग्राम मऊखास की गाटा संख्या 224 रकबा 0.2490हे0 राजस्व अभिलेखों मे मार्ग के रूप मे दर्ज कागजात है उक्त रास्ते का रकबा वर्तमान समय मे रिक्त है तथा उक्त रकवे पर भट्ठा संचालक का कोई कब्जा नही है न ही इनके द्वारा चकमार्ग क्षतिग्रस्त नहीं किया गया है। आख्या अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

<u>संलग्नकः–</u> उपरोक्तानुसार (कुल 01 वर्क)।

उप जिलाधिकारी,
भोगनीपुर, कानपुर देहात।

महोदय-

उपजिलाधिकारी महोदय- भोगनीपुर, जनपद- कानपुर दे० के आदेशानुसार राजस्व ग्राम- मकरखास, परगना व तहसील- भोगनीपुर, जनपद- कानपुर दे० में संचालित श्री कृष्णा ब्रिक फील्ड- मकरखास, संचालक- ब्रह्म प्रकाश सचान व ओम प्रकाश सचान निवासी ग्राम- मौंगा के सम्बन्ध में चाही गयी जाँच आख्या निम्नवत है।

ग्राम- मकरखास, परगना व तहसील- भोगनीपुर, जनपद- कानपुर दे० की गाटा सं०- 109 रकबा- 1.8960 हे० राजस्व अभिलेखों में जसवन्त नरायन, राम सेवक, सिपाही लाल, शिव प्रसाद, छोटे लाल, प्रेम चन्द्र व ब्रह्म प्रकाश के नाम सह खातेदार के रूप में संक्रमणीय भूमिधर दर्ज कागजात है। जिसमें भट्ठा स्वामी का 1/2 हिस्सा है। हिस्से के मुताबिक रकबा- 0.9480 हे० है। उक्त रकबे पर वर्तमान समय में ईंट भट्ठा संचालित है।

उक्त श्री कृष्णा ब्रिक फील्ड सन्- 1991 से उक्त रकबे पर संचालित है। जिसके भट्ठे की चिमनी से उत्तर दिशा में पुरानी आबादी काफी साथ में संलग्न है। (जो भट्ठा स्थापित होने के बाद बनी है।) तथा 210 मीटर दूरी पर है। नयी आबादी भट्ठा स्थापित होने के समय नहीं बना था। ग्राम- मकरखास का प्राथमिक विद्यालय भट्ठा स्थापित होने के समय नहीं बना था।

ग्राम- मकरखास की गाटा सं०- 224 रकबा- 0.2490 हे० राजस्व अभिलेख में मार्ग के रूप में दर्ज कागजात है। उक्त रास्ते का रकबा वर्तमान समय में है। तथा उक्त रकबे पर भट्ठा संचालक का कोई कब्जा नहीं है। न ही इनके द्वारा चकमार्ग क्षतिग्रस्त नहीं किया गया है। अस्तु जाँच आख्या सादर सेवा में प्रेषित है।

अनिरुद्ध कुमार
07/11/2022
लेखपाल [illegible]

नजरी नक्शा खाता सं० - 109

ग्राम - मकुरवास, परगना व तहसील - भोगनीपुर, जनपद - कानपुर (दे०)

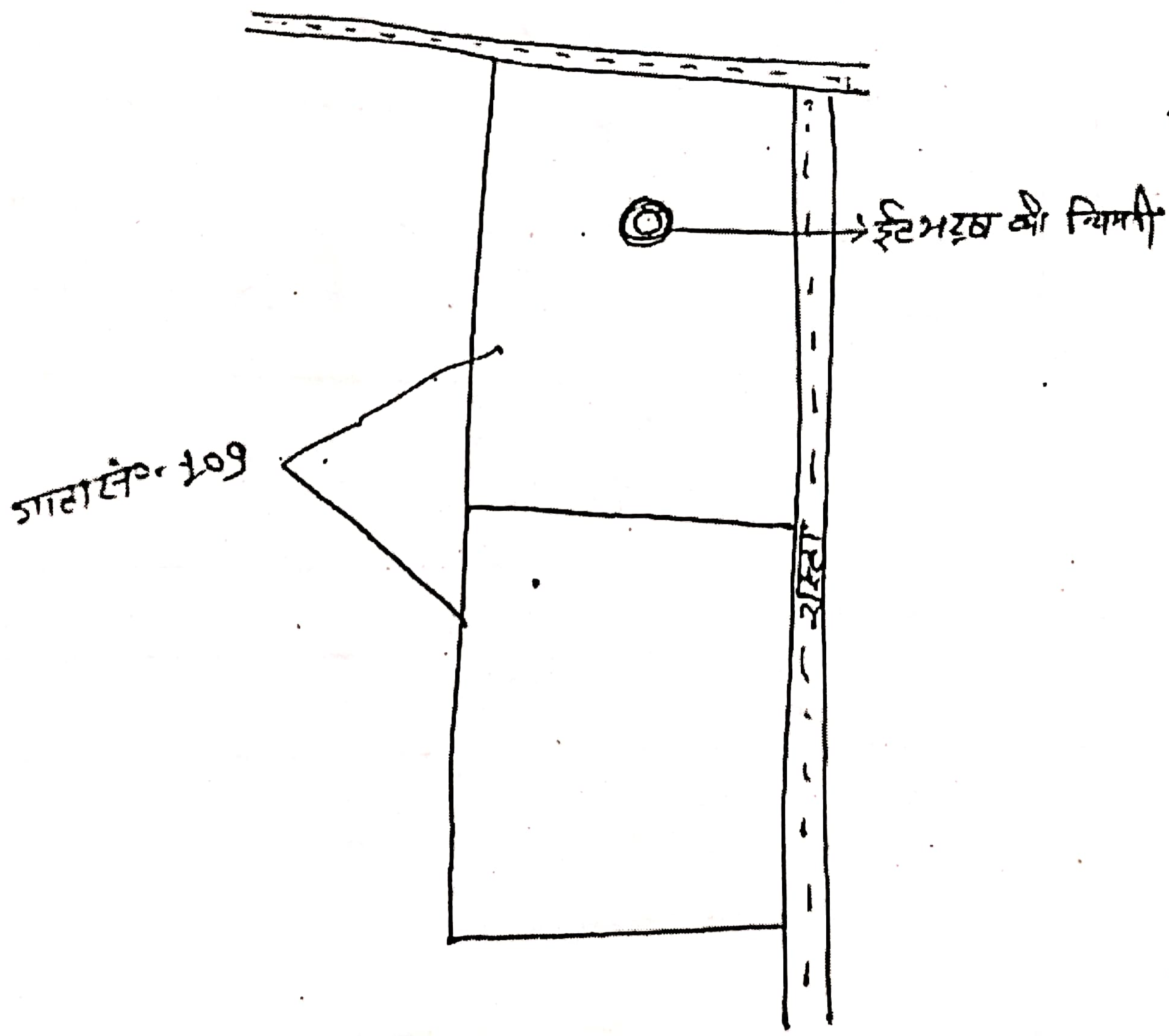

[illegible]
07/11/2022
[illegible]

इन्तखाब खसरा

... परगना ... तहसील मेजारीड़ ... जिला [illegible] ... सन् 1422 फसली सम्बन्धी ...

क्षेत्रफल एकड़ मल्दोमली भीघा	खितौनी खाते की सं०	खितौनी के भाग 1 के वर्गीकरण के अनुसार खातेदार का नाम यदि कोई हो	खितौनी के भाग 2 के वर्गीकरण के अनुसार खातेदार का नाम यदि कोई हो	सिचाई की रीति और कुंए	खरीफ क्षेत्रफल: फसल का नाम	खरीफ क्षेत्रफल: सिंचा हुआ	खरीफ क्षेत्रफल: अनसिंचा	रबी क्षेत्रफल: फसल का नाम	रबी क्षेत्रफल: सिंचा हुआ	रबी क्षेत्रफल: अनसिंचा	जायद क्षेत्रफल: फसल का नाम	जायद क्षेत्रफल: सिंचा हुआ	जायद क्षेत्रफल: अनसिंचा	दो फसली क्षेत्रफल: सिंचा हुआ	दो फसली क्षेत्रफल: अनसिंचा	मिलान खसरा स्तम्भों के अनुसार आकृषिक बिना फसलावली भूमि का ब्योरा: भूमि की श्रेणी	मिलान खसरा स्तम्भों के अनुसार आकृषिक बिना फसलावली भूमि का ब्योरा: क्षेत्रफल	प्रत्येक खेत के पूरे चढ़े हुए वृक्षों की संख्या व किस्म	आदेश टिप्पणी
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
336	37	[illegible]	x	[illegible]	[illegible]	–	0.948	[illegible]	0.948	–	–	–	–	–	0.948	[illegible]	0.9480	x	x

[illegible signature] 2022

ANNEXURE-8

क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड

280, एन0एच0–19, रनियाँ, कानपुर देहात–209304

सन्दर्भ सं0-- 1579/IB/S-62/22 दिनांक : 31/10/22

पंजीकृत

सेवा में,

श्री ब्रम्ह प्रकाश सचान
मै0 शक्ति ब्रिक्स फील्ड,
ग्राम–मऊखास, भोगनीपुर
कानपुर देहात।

विषयः–**मै0 शक्ति ब्रिक्स फील्ड, ग्राम–मऊखास, भोगनीपुर, कानपुर देहात को जारी सहमति जल एवं सहमति वायु मे निहित शर्तो का अनुपालन न किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदया,

कृपया उपरोक्त विषयक का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के सम्बन्ध में आपके ईट भट्ठे के विरूद्ध समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली उ0प्र0 संदर्भ सं0–40016322012736 शिकायत की गयी है। शिकायतकर्ता द्वारा अपने शिकायती पत्र में उल्लेख किया गया है कि आप द्वारा ईट भट्ठे के आस–पास आज तक बाउड्रीवॉल नहीं बनायी गयी है। ईट भट्ठा में ईट उत्पादन से जनित होने वाली राबिश और राख का समुचित प्रबन्ध नहीं किया जा रहा है। ईट भट्ठे के चारो तरफ हरित पट्टिका का विकास नहीं किया गया है। ईट भट्ठे में काम करने वाले कार्मिकों के लिए घरेलू उत्प्रवाह निस्तारण हेतु सेप्टिक टैंक/सोकपिट की व्यवस्था नहीं गयी है। ईट भट्ठे द्वारा परिवेशीय वायु गुणता/स्टैक मॉनिटरिंग रिपोर्ट प्रेषित नहीं की गयी है। जिसकी पुष्टि कार्यालय द्वारा किये गये निरीक्षण दिनांक–29.10.2022 को भी की गयी है पूर्व में उक्त के अनुपालन हेतु कार्यालय के पत्रांक–1421/आई.बी./एस–62/22 दिनांक–14.09.2022 द्वारा प्रेषित नोटिस की अनुपालन आख्या भी प्रेषित नहीं की गयी है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि ईट भट्ठा द्वारा इस कार्यालय के पत्रांक–101249/UPPCB/Kanpur Dehat (UPPCBRO)/CTO/Water/Kanpur Dehat/2020, 101247/UPPCB/Kanpur Dehat (UPPCBRO)/ CTO/Air/Kanpur Dehat/2020 दिनांक–26.08.2020 को निर्गत सहमति जल एवं सहमति वायु में निहित शर्तो का अनुपालन नहीं किया जा रहा है पुनः आपसे अपेक्षा की जाती है कि एक सप्ताह के अन्दर उक्त के सम्बन्ध में अनुपालनीय कार्यवाही करते हुये कार्यालय को सूचित करने का कष्ट करें। निर्धारित समयावधि में आख्या प्राप्त न होने की दशा में ईट भट्ठे को इस कार्यालय के पत्रांक 101247/UPPCB/Kanpur Dehat (UPPCBRO)/ CTO/Air/Kanpur Dehat/2020 दिनांक–26.08.2020 द्वारा निर्गत सहमति वायु को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 (4) में प्राप्त शक्तियों के अन्तर्गत निरस्त कर दिया जायेगा। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं ईट भट्ठा संचालक का होगा।

भवदीय

(आशुतोष पाण्डेय)
क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0)

प्रतिलिपिः– मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–2, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0)

क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
280, एन0एच0–19, रनियाँ, कानपुर देहात–209304

सन्दर्भ सं0– 1624/FB/S-62/22 दिनांक : 14/11/2022

सेवा में,

श्री ब्रम्ह प्रकाश सचान
मै0 शक्ति ब्रिक्स फील्ड,
ग्राम–मऊखास, भोगनीपुर
कानपुर देहात।

विषयः–दिनांक–04.11.2022 को मै0 शक्ति ब्रिक्स फील्ड, ग्राम–मऊखास, भोगनीपुर, कानपुर देहात का गठित समिति द्वारा निरीक्षण के दौरान उद्योग को जारी सहमति जल एवं सहमति वायु मे निहित शर्तो का अनुपालन न पाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के सम्बन्ध में आपके ईट भट्ठे का निरीक्षण गठित समिति द्वारा दिनांक–04.11.2022 को किया गया। निरीक्षण के समय पाये गये तंथ्यों का विवरण बिन्दुवार निम्नवत् हैः–

1. ईट भट्ठे से जनित राख एवं धूल के नियंत्रण हेतु जल छिडकाव व्यवस्था तथा भट्ठे के चारो ओर बाउड्रीवॉल स्थापित नहीं पायी गयी तथा हरित पट्टिका के विकास किये जाने हेतु वृक्षों का रोपण भी नही पाया गया एवं घरेलू उत्प्रवाह के निस्तारण हेतु सेप्टिक टैंक/सोकपिट की व्यवस्था नहीं पायी गयी ईट भट्ठे से जनित उत्सर्जन के अनुश्रवण हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुरूप व्यवस्था स्थापित नहीं की गयी है।
2. इस कार्यालय क पत्रांक–1421/आई.बी./एस–62/22 दिनांक–14.09.2022 एवं पत्रांक–1579/आई.बी./एस–62/22 दिनांक–31.10.2022 द्वारा प्रेषित नोटिस की अनुपालन आख्या भी प्रेषित नहीं की गयी है एवं ईट भट्ठे को जारी सहमति जल एवं सहमति वायु में वर्णित शर्तों की अनुपालन आख्या भी प्रेषित नहीं की गयी है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में आपसे अपेक्षित है कि पत्र प्राप्ति के पन्द्रह दिवस के अन्दर उक्त के सम्बन्ध में जारी सहमति जल एवं सहमति वायु की बिन्दुवार आख्या अपना स्पष्टीकरण सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। अन्यथा की दशा में यह समझा जायेगा कि आपको उक्त के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है और कार्यवाही करते हुये भट्ठे को इस कार्यालय के पत्रांक 101247/UPPCB/Kanpur Dehat (UPPCBRO)/CTO/Air/Kanpur Dehat/2020 दिनांक–26.08.2020 द्वारा निर्गत सहमति वायु को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 (4) में प्राप्त शक्तियों के अन्तर्गत निरस्त कर दिया जायेगा। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं ईट भट्ठा संचालक का होगा।

भवदीय

(आशुतोष पाण्डेय)
क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0)

प्रतिलिपिः– मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–2, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0)